(82)

नवीन प्रकरण - 3343/2013

मानानीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, मोती महल ग्वालियर (म.प्र.)

R - 3343 - I/13 प्र.क्र.

राजस्व मंडल
2998
आवक क्र.
दिनांक 26-8-13
मध्यप्रदेश ग्वालियर

1. राजेश्वर पिता भंवरलाल आयु 58 वर्ष व्यवसाय खेती
2. ब्रहमानंद पिता भंवरलाल आयु 60 वर्ष व्यवसाय खेती
3. हरिप्रसाद पिता भंवरलाल आयु 54 वर्ष व्यवसाय खेती

निवासीगण मानपुरा कृषक ग्राम भगोर परगना सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र.

---------आवेदकगण

विरूद्ध

रोडा पिता रामा आयु 45 वर्ष व्यवसाय खेती,
निवासी मानपुरा कृषक ग्राम भगोर तह. सीतामऊ
जिला मंदसौर म.प्र.

---------- अनावेदक

श्री प्रकाश शर्मा अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत। 5.8.13

माननीय महोदय,

पुनः रिक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त-02 सीतामऊ के प्रकरण क्र.143/अ-12/12-13 मे की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 16-5-2013 से उत्पीडित होकर अंदर म्याद पेश है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत है :-

यहकि ग्राम भगोर परगना सीतामऊ मे बन्दोबस्त कार्य चला उसमे नक्शे व अधिकार अभिलेखतियार किया गया। नक्शा भूमि क्र. 1621, 1624, 1640/2 आसपास के क्षेत्र का त्रुटिपूर्ण बनाया। भूमियो की वास्तविक सीमा व क्षेत्रफल स्वत्व के अनुरूप नही बनाते हुवे मनमाने ढंग से बना देने दिया। उक्त त्रुटी पूर्ण नक्शे के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त सीतामऊ द्वारा सीमांकन करने से आसपास के भूमियो धांसकर आवेदकगण से लगी हुई भूमि आवेदकगण की नापकर अनावेदक को बता देने से उत्पीडित होकर रिवीजन प्रार्थना पत्र निम्नवत पेश है।

आवक 2998 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दि. 26-8-13 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

पुनः रिक्षण के आधार

(1) यहकि आदेश अन्तर्गत निगरानी विधि एवं प्रक्रिया के सर्वथा प्रतिकूल होकर स्थिर रहने योग्य नही है।

(2) यहकि राजस्व निरीक्षक को स्थल का पूर्ण ज्ञान होकर नक्शा त्रुटिपूर्ण मान रहे है। ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक को सीमांकन नही करना था जो उन्होने कर आवेदक व अन्य व्यक्तियो व अनावेदक के मध्य झगडे फिसाद पैदा हो गये तथा अनावेदक त्रुटिपूर्ण नक्शे से सीमांकन करा कर आवेदकगण अन्य व्यक्तियो के खिलाफ पुलिस मे झुठी रिपोर्ट करने से पुलिस अधिकारि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3343-एक/13 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3.1-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	